


Housing Department – Completion cum Occupancy Certificate

1	Name of Approval / NOC / License / Registration	Completion cum Occupancy Certificate
2	Competent Authority	Housing Department
3	Applicability Criteria	○ Development Authority
4	Stage	Additional Services
5	SLA/ Number of Days	25 Days
6	Documents Required	<p style="text-align: center;"><u>Mandatory Documents :</u></p> <p>(i) Sanctioned Map in pdf format</p> <p style="text-align: center;"><u>Conditional Documents (Required depending on Site/ Plot) :</u></p> <p>(i) All Fees Receipt (ii) Fire NoC (iii) Electrical Safety NoC</p>
7	Form Submission	<p>http://niveshmitra.up.nic.in/ (For High Risk Building)</p> <p>https://upobpas.in/ (For Low Risk Building)</p>
8	Fee	Not required
9	Mode of Payment	Not required
10	Procedure for Completion cum Occupancy Certificate	<p>Step- 1 : The applicant shall open the Online Single Window Portal using the address (https://niveshmitra.up.nic.in/).</p> <p>Step – 2 : After logging into the web portal, the Applicant shall select apply for permission, select that unit id, that was used earlier for building plan approval.</p> <p>Step – 3 : Applicant shall select Department “Housing Department” and service “Completion cum Occupancy Certificate”</p>

		<p>then click on proceed. The applicant shall go ahead, enter occupancy date, attach required documents and submit the application.</p> <p>Step – 4 : Officer level 1 (J.E.) scrutinizes the application, inspect the site & submit report to Officer level 2 (A.E.)</p> <p>Step – 5 : Officer level 2 (A.E.) verifies the report of J.E., inspect the site & submit report to Officer level 3 (E.E./Town Planner)</p> <p>Step – 6 : Officer level 3 (E.E./Town Planner) verifies the report of A.E., inspect the site & issue the certificate.</p> <p>Step – 7 : Applicant can download the certificate from the portal.</p>
--	--	---

कम्पलीशन सर्टीफिकेट की स्वीकृति हेतु फलो चार्ट



- स्वीकार— अनुज्ञापति व्यक्ति/आर्कीटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जांच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्स पाये जाने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- अस्वीकार— जाँच-परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए सूचित किया जायेगा।

वांछित अभिलेख

- (I) पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियां।
- (II) निम्न प्रमाण-पत्र/अनापत्ति की दो प्रतियां-
 - चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मी० से ऊँचे भवन मिश्रित अधिवास वाले भवन जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमी० से अधिक हो, विशिष्ट भवन यथा शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवन हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुज्ञापति व्यक्ति का प्रमाण-पत्र।

चेक लिस्ट

- (i) भूखण्ड का क्षेत्रफल
- (ii) भू-उपयोग
- (iii) मानचित्र स्वीकृत की तिथि
- (iv) परमिट सं०
- (v) यदि अनाधिकृत विकास किया गया है तो शमन मानचित्र की प्रति।
- (vi) शमन शुल्क भुगतान की तिथि
- (vii) मानचित्र जो लागू हो उसके अनुसार निम्न का विवरण
 - सेटबैक
 - जलापूर्ति
 - मलोत्सरण
 - जल निकासी
 - विद्युत आपूर्ति
 - अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
 - लिफ्ट-चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, उ०प्र० से लिफ्ट का पूर्णता प्रमाण-पत्र
 - गारवेज सूट
- (viii) उपरोक्त विवरण एवं अभिलेख सहित अधिकृत व्यक्ति का आवेदन पत्र

**उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15ए
के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया
(उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8)**

1. वर्गीकरण
 - (i) "आवासीय भवन" हेतु "प्रपत्र-अ"
टिप्पणी: 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवासीय भवन हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
 - (ii) "ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों" हेतु "प्रपत्र-ब"।
 - (iii) आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डीय भवनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के भवनों हेतु "प्रपत्र-स"।
 - (iv) "ले-आउट प्लान" हेतु "प्रपत्र-द"।
2. अभिलेखों का जमा किया जाना

प्राधिकरण अनुज्ञापित व्यक्ति के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियाँ तथा दो प्रतियों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ पूर्णता की नोटिस दी जाएगी :-

 - (i) चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोग के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों, जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (ii) भूतल सहित तीन मंजिलों से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र।
3. परीक्षण एवं जाँच

पूर्णता की नोटिस प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार "रेन्डम बेसिस" पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा। किन्तु व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जाँच/परीक्षण किया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं "रेन्डम सलेक्शन" की प्रक्रिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जाँच नहीं की जाएगी।
4. पूर्णता प्रमाण-पत्र

अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जाँच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
5. पूर्णता प्रमाण-पत्र अस्वीकार करना

जाँच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 90 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया माना जाएगा।

- 6. अस्वीकृति का पुनरीक्षण**

आवदेक द्वारा अस्वीकृति के कारणों से असंतुष्ट होने की स्थिति में अस्वीकृति की सूचना के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण के आधार व कारणों सहित पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकेगा।
- 7. पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु पुनः आवेदन**

पूर्णता प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने की दशा में अस्वीकृति के कारणों के समाधान करने के साथ पुनः नया आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 8. अपील**

अस्वीकृति के आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के समक्ष अपील की जा सकेगी जिस पर अपीलकर्ता एवं यदि आवश्यक हो तो उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए, अपील को निरस्त करने अथवा यथा आवश्यक संशोधन अथवा प्रतिबन्धों के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।